

Communal clashes in the Country

*25. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of communal clashes that took place during the last one year;

(b) the number of persons killed and injured in these clashes; and

(c) the details of steps taken by Government to enhance communal harmony?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During last year (2002) 671 communal incidents have been reported to have taken place in the country in which 1126 persons were killed and 4138 persons sustained injuries.

(c) A variety of measures are being taken in a sustained manner by the Central Government to assist the States in the maintenance of peace and communal harmony. These measures include sending alert messages and advisories, sharing of intelligence, providing Central Para-military Forces on specific request and assistance in the modernisation of Police forces. Detailed Guidelines to promote Communal Harmony have also been issued to all the States/Union Territories.

Besides these administrative measures, the Union Government has also been taking promotional efforts like observance of the Annual Quami Ekta Week, conferment of Awards like Communal Harmony Awards and Kabir Puraskar and allotment of grants to Non-Governmental Organisations who are engaged in various programmes for the promotion of communal harmony in the country. The National Foundation for Communal Harmony, an autonomous organisation under the Union Home Ministry is also engaged in various programmes for the promotion of Communal Harmony in the country.

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने पिछले एक वर्ष में देश के किन-किन भागों में साम्प्रदायिक हिंसा हुई, उसके संबंध में जो वक्तव्य दिया है, वह दरअसल अस्पष्ट है।

अस्पष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने संख्या तो दी है 671। सांप्रदायिक हिंसा हुई, किन-किन राज्यों में कितनी हिंसा हुई, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनों के खिलाफ एफ० आई० आर दर्ज हुई, कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई, इस बात का जिक्र नहीं है। मेरे पूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है—इस देश में समय-समय पर जब भी साम्प्रदायिक हिंसा हुई है उसके संबंध में जो रिपोर्ट्स बनी हैं, Human Instigated Disasters Report, उसका निष्कर्ष यह है कि कई राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की दृष्टि से साम्प्रदायिक हिंसा भड़काकर ऐसी धर्मान्धता फैलाते हैं। उससे यह स्थिति निर्मित हो जाती है। कम्युनल प्रोपेगेंडा भी करते हैं। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे संगठन, जो धर्मान्धता और सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी कोई स्टडी गृह मंत्रालय ने की है? यदि की है तो वे कौन-कौन से संगठन हैं और ऐसे संगठन समय-समय पर भड़काऊ और उत्तेजक वक्तव्य न दें, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री सभापति: पचौरी जी, क्षमा करें। अपने प्रश्न को आप कर लें। उसके परव्यू में आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है?

श्री सुरेश पचौरी: उसी के परव्यू में है।

श्री सभापति: नहीं आता है।

श्री सुरेश पचौरी: उसी के परव्यू में आता है सर।

श्री सभापति: यह सैकिण्ड क्वेश्चन करना चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी: नहीं सर, यह उसी की परिधि में आता है।

श्री सभापति: नहीं आता है, आप इसे पढ़िए।

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यदि इसके सी पार्ट को आप देखें तो सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं उससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री सभापति: स्वामी साहब आप बोल दीजिए, कम्युनल हिंसा रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, यह जो समस्या है, यह बेसिकली स्टेट्स की, प्रांतों की है। प्रदेशों को सेंट्रल सरकार हमेशा एडवाइजरी भेजती रही है। स्टेट्स के साथ इंटेलिजेंस शेयर करती है। स्टेट्स में जहां कहीं भी कम्युनल रॉयट्स हो या ऐसी स्थिति पैदा होती है, जहां पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत होती है, वह दी जाती है। इसके अलावा प्रमोशनल एफर्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकअप किए हैं। प्रमोशनल एफर्ट्स में अंडर होम मिनिस्ट्री एक ऑटोनोमस बॉडी है। वह अपना काम उठाती है। इसके अलावा अवार्ड भी रखे हुए हैं। लोगों को एनकरेज करने के लिए पुरस्कार रखे हुए हैं। ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन कौन-सी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ

एक्शन लिया जाए, नहीं लिया जाए, यह स्टेट का काम है। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वे समझते हैं, जिसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए तो वह लॉ के नीचे, चूँकि हमारी कांस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स और कांस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन्स ही कुछ ऐसी हैं, स्कीम ऑफ कांस्टीट्यूशन ऐसी है कि ऐसे निर्णय स्टेट ही ले सकती है।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, यह राज्य का विषय है यह कहकर इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मेरे पास आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर की रिपोर्ट है, उनके आर्टिकल की कॉपी है। एस०ए०एफ० और बी०एस०एफ० के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल के आर्टिकल्स की कॉपी है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो पैरा-मिलिट्री फोर्सिस हैं या जो पुलिस है, जब सांप्रदायिक हिंसा होती है तब वे धर्मान्धता का शिकार हो जाते हैं या ऐसे कम्यूनल ऑर्गेनाइजेशन्स, जो इस प्रकार के कृत्य में इन्वोल्व होते हैं उन्हें उस राज्य में जो सरकार है उसका राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। इसे रोकने के लिए क्या लॉ एन्फोर्समेंट रिकार्ड तैयार किया गया है, यदि किया गया है तो केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस दृष्टि से करना चाहती है ताकि इस पर अंकुश लग सके?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, जिन लर्नेड राइटर्स को ये मेशन कर रहे हैं, ये उनके अपने ओपिनियन्स हैं।

श्री सुरेश पचौरी: आप क्या कर रहे हैं?

श्री सभापति: आप क्या उपाय कर रहे हैं वह बता दीजिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैंने पहले भी कहा है हम स्टेट में एडवाइजरी भेजते हैं। यदि आप पिछले सालों के आंकड़े लेंगे, 1997 से देखें तो ये कम्यूनल इंसीडेन्ट्स कम होते जा रहे हैं। यह आपके सामने है।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, 2002 में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह रिकार्ड में है। यह सरकारी रिकार्ड में है। यह हमारा रिकार्ड नहीं है(व्यवधान)... सभापति जी, यह तो गुमराह करने वाली बात है। हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सभापति: इस सदन में कोई गुमराह होने वाला नहीं है।

श्री सुरेश पचौरी: इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ(व्यवधान)...

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, 2002 में(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, मेरे पूरक प्रश्न के "ए" पार्ट का आन्सर नहीं दिया गया और मेरे "सी" पार्ट को भी घुमा-फिराकर बोला जा रहा है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, 2001 में जो टोटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, सभी स्टेट्स को मिलाकर वे 617 थे और 2002 में 600 हैं। यह आर्थेटिकेटिड रिपोर्ट है....(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, आप आंकड़ों में मत जाइए। आप बता दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुरस्कार भी देती है, एनकरेज भी करती है। प्रमोशनल एफर्ट्स भी करती है(व्यवधान)... सेंट्रल गवर्नमेंट की (व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: श्रीमन्, आप खुद उत्तर दीजिए। महोदय भटका रहे हैं।

श्री सुरेश पचौरी: आडवाणी जी इसका उत्तर दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि वे खुद एक सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपित हैं। हम विश्वास दिलाते हैं लेकिन इसका उत्तर आपसे चाहते हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने पहले भी कहा कि कांस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: आप इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से आने दीजिए।

श्री सभापति: गंभीरता से ही जवाब आ रहा है।

श्री बालकवि बैरागी: सभापति जी, आप सदन की थोड़ी सहायता कीजिए।

श्री सभापति: मैं सबकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ।

श्री बालकवि बैरागी: श्रीमन्, गृह मंत्री जी से कहिएगा कि वह स्पष्ट उत्तर दें। गृह मंत्री जी आप स्पष्ट उत्तर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति: आप क्या स्पष्ट उत्तर चाहते हैं, यह आप बता दीजिए, कोई एक आप बता दीजिए?

श्री बालकवि बैरागी: श्रीमन्, स्टेट गवर्नमेंट जब खुद दंगाइयों की सहायता करने लग जाए, तो फिर आपकी नीति क्या होगी?

श्री सभापति: कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सहायता की है?

श्री बालकवि बैरागी: गत वर्ष गुजरात का उदाहरण आपके सामने है।

श्री सभापति: यह कोई आरोप नहीं है।(व्यवधान)... यह नहीं होगा।(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: गत वर्ष गुजरात ने सहायता की है। सारा देश उस हादसे (व्यवधान)... सारी दुनिया जान गई है। ... (व्यवधान)... तब फिर इस सरकार की नीति क्या हो सकती है, माननीय सभापति महोदय।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सरकार की नीति तो संविधान से निकलती है।

SHRI KAPIL SIBAL: I just want to put one small question. It concerns us that some organisations in this country have started increasing the distribution of weapons of offence in the form of *Trishul*. These weapons of offence which are now suddenly being distributed in increasing numbers in certain parts of the State, and to a particular community suggests that the Central Government should be very concerned about it. I want to know the views of the Central Government. Are they not weapons of offence, which can be used to disturb the communal harmony, and will the Central Government take a serious note of that and ban these weapons of offence so that such situations cannot arise for them to be used in the future?

SHRI I.D. SWAMI: Hon. Member is a very senior Supreme Court lawyer. He knows that so far as the Arms Act is concerned, all these things have to be taken care of by the State Governments. The Central Government maximum can, on complaint, make a reference to the State Government. ... (Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: It is a Central Act. ... (Interruptions)...

SHRI I.D. SWAMI: It is a Central Act, but it is implemented by the State Governments. ... (Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: Will *trishul* be banned under the Arms Act. ... (Interruptions)...

SHRI I.D. SWAMI: We will certainly consider it. ... (Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: Will you give an assurance to this House that you will certainly consider it. ... (Interruptions)...

SHRI I.D. SWAMI: So far, there is no report with the Central Government from any State Government (Interruptions)....

SHRI KAPIL SIBAL: I think that the hon. Minister is not used to read newspapers. ... (Interruptions)...

SHRI I.D. SWAMI: The Government does not act on newspaper reports alone ...(*Interruptions*)...

SHRI JIBON ROY: You act on your own. ...(*Interruptions*)...

Controversy over application of POTA in U.P.

*26. DR. ABRAR AHMED:†

SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the controversy arising out of the recent application of POTA in Uttar Pradesh;

(b) if so, the details of the case and views of the State Government thereon;

(c) whether Centre propose to forward some advice to the State Government on this development; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) and (b) The Government of Uttar Pradesh has informed that S/Shri Udai Pratap Singh, Raghuraj Pratap Singh and Akshay Pratap Singh have committed offences under the POTA, 2002 and the action has been taken against them under the said Act.

(c) and (d) Implementation of POTA, 2002 is the responsibility of the State Governments/UT Administrations, law and order being the State subject.

डा० अबरार अहमद: सभापति महोदय, जब देश के अंदर पोटा कानून बनाया गया उस समय... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सीधा क्वश्चन कीजिए।

डा० अबरार अहमद: मैं सीधा क्वश्चन ही पूछ रहा हूँ, आप बोलने तो दीजिए।

श्री सभापति: आई विल नॉट एलाउ स्पीच।

डा० अबरार अहमद: सभापति महोदय, मैंने अभी मुंह तो खोला नहीं और आप.... (व्यवधान)

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Abrar Ahmed.